

ई-नीलामी बिक्री सूचना
(ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता 2016 के तहत जारी कंसर्न के रूप में हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (परिसमापनाधीन) की बिक्री)

कॉर्पोरेट देनदार के मामले में अदालत दिनांक 02.05.2019 के साथ चोटित आदेश दिनांक 14.05.2019 के माध्यम से मानवीय न्यायक्षेत्र प्रविकरण, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा भारतीय न्यायक्षेत्र अक्षमता तथा दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32(ड) के तहत जारी कंसर्न के रूप में हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (" कम्पनी का कॉर्पोरेट देनदार ") (परिसमापनाधीन) की बिक्री। यह बिक्री अयोधरलाधरी द्वारा एमएलटीसी लिमिटेड के वेब पोर्टल <https://www.msfccommerce.com> पर ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्पन्न होगी। सूचनाएं जमा करने हेतु यह ई-नीलामी 22 जुलाई, 2021 को 10.00 बजे पूर्वा. से 22 जुलाई, 2021 को 06.00 बजे अप. तक पोर्टल पर लक्ष्य होगी।

कॉर्पोरेट देनदार की आरंभियों का विवरण	आरंभित मूल्य (रु. करोड़ में)	ईएमडी राशि (रु. करोड़ में)	न्यूनतम वृद्धि सविदा (रु. करोड़ में)
विनियम 32(ड) परिसमापन विनियम के तहत जारी कंसर्न के रूप में हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (परिसमापनाधीन) की बिक्री (प्रक्रिया ज्ञापन दिनांक 22 जून, 2021 का संदर्भ ले)	969 करोड़	48 करोड़	1 करोड़

- ई-नीलामी के विषय एवं शर्तें विस्तारित हैं :
- ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएलटीसी लिमिटेड के अनुमोदित सेवा प्रदाता के माध्यम से "जहाँ है वहाँ है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर संचालित की जाएगी। अनिलक्षण नीलामी बिक्री के अनिलक्षण ई-नीलामी सविदा प्रच, घेषण, सामान्य नियम एवं शर्तें सहित ई-नीलामी विधिदा दस्तावेज वेबसाइट <https://www.msfccommerce.com> तथा www.hindupaper.in पर उपलब्ध है।
 - कम्पनी के अधिक विवरण के लिए आप प्रतिक्रिया से ई-मेल के माध्यम से liquidator.hindupaper@gmail.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।
 - इच्छुक सविदाकारों को अपने सविदा जमा करने से पूर्व सम्पत्ति के ऋणशर्तों, सम्पत्ति के स्वामित्व/दावे/अधिकारों/वकायों/प्रभावित करने वाले तथ्यों के विषय में अपनी स्वतन्त्र वृत्तान्त, अपने व्यव पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर लेना चाहिए और स्वयं को स्पष्ट कर लेना चाहिए।
 - इच्छुक सविदाकारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएलटीसी लिमिटेड द्वारा प्रावधानित विवरण पर सीधे एमएलटीसी/आरटीबीएस के माध्यम से रु. 48 करोड़ की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी।
 - इच्छुक सविदाकारों को ई-नीलामी में भाग लेने हेतु (1) पहचान का प्रमाण (2) वर्तमान चने के प्रमाण (3) पैन कार्ड, (4) बैंक ई-मेल आईडी (5) सम्पर्क विवरण को स्व-स्वीकृत प्रति सहित ईएमडी जमा का प्रमाण और निवेदन पत्र परिसमापक के कार्यालय पर अथवा नीचे दिये गये ई-मेल चने पर 6 जुलाई, 2021 को 6.00 बजे अप. से पूर्व जमा करने होंगे।
 - ई-नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र सविदाकारों के नाम परिसमापक द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे। ई-नीलामी सेवा प्रदाता अनिलक्षण ई-नीलामी में सविदा के लिए केवल पात्र सविदाकारों को ही अनुमति देगे।
 - परि सविदा ई-नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 8 मिनटों में रखी जाती है जो बन्द होने का समय स्वतः ही अस्वीकृत बिक्री के साथ 8 मिनटों के लिए बन्द जायेगा। जो सविदाकार ई-नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के समय उन्बतम बोली (आरंभित मूल्य से कम नहीं) जमा करता है उसे सफल सविदाकार घोषित किया जायेगा और इस प्रभाव से उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित किया जायेगा जो परिसमापक के अनुमोदन के अधीन होगा।
 - सफल सविदाकार को ईएमडी बिक्री वस्तु के भाग के रूप में रख ली जायेगी और असफल सविदाकारों को ईएमडी ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा वापस कर दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं देया जायेगा। सफल सविदाकार को बिक्री राशि की बिक्री वस्तु की सेष भाग एसओआई के निर्माण के 30 दिनों के भीतर अर्थात् 31 जुलाई तक परिसमापक द्वारा सविदा मूल्य की स्वयंसेवा पर (ईएमडी के समावेशन के पश्चात) जमा करनी होगी। सफल सविदाकार द्वारा राशि जमा करने में ढूंक करने पर ईएमडी बन्द कर ली जायेगी।
 - केस को नीलामी के माध्यम से कम्पनी ज्ञापन करने के परिशेष में प्रचोन्न स्टैम ड्यूटी/हस्तनक्षत्र प्रचार आदि तथा सम्पत्ति विधिकार/परि-विधिक बकायों, लीएलटी करों, दरों, अधिविधारण प्रभारों, जुल्कों आदि का वहन करना होगा।
 - परिसमापक को कोई भी सही प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई-नीलामी की स्वयंसेवा आरंभित/निस्त करने अथवा बिक्री कोई कारण बताए बिना भी चरण में नीलामी प्रक्रिया से किसी सम्पत्ति का उसके किसी भाग को आरंभित करने का पूर्ण अधिकार है।
 - कॉर्पोरेट देनदार की आरंभियों का विवरण कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट www.hindupaper.in पर अचलौट प्रक्रिया ज्ञापन दिनांक 22 जून, 2021 में उपलब्ध है।
 - बिक्री प्रमाणपत्र/अनुबंध केवल सफल सविदाकार के नाम में जारी किया जायेगा और किसी अन्य के नाम में जारी नहीं किया जायेगा।
 - यह बिक्री ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके तहत निर्मित विनियमों के प्रावधानों के अधीन होगी।
 - परिसमापक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु समय के एमएलटीसी के लिए मानवीय एमएलटीसी के समय एक आवेदन दाखिल किया गया है। "जहाँ कंसर्न" के रूप में हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बिक्री का यह प्रस्ताव इस संबंध में मानवीय एमएलटीसी के निर्णय के अधीन होगा।
 - ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 22 जुलाई, 2021 को 10.00 बजे प्रातः से 22 जुलाई, 2021 को 6.00 बजे अप. तक (8 मिनट के अस्वीकृत विलक्षण सहित)

*अन्तिम बिक्री वस्तु के मुद्रांतरण की समय-सीमा प्रचोन्न कायूनों तथा विनियमों के तहत अनुमत्त सीमा तक परिसमापक के विक्रेता/मुद्रांतर विस्तारित की जा सकती है। यदि समय-सीमा के भीतर अन्तिम बिक्री वस्तु का मुद्रांतर नहीं किया जाता है तो परिसमापक द्वारा ईएमडी बन्द कर ली जायेगी।

ह./-

कुलदीप वर्मा-हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परिसमापक
 आरंभियों/ई-नीलामी सं. : IBBI/PA-001/IP-P00014/2016-17/10038
 बंजीकुल पता : 46 बी.बी. सोगुली स्ट्रीट, 5वीं मंजिल, वृन्डि सं. 501, कोलकाता-700012
 बंजीकुल ई-मेल : kuverma@gmail.com, दूरभाष : +91 98360 77900
 तिथि : 22.06.2021, स्थान : कोलकाता